न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 83/2021
GCMS No. : **2021/107**

–: प्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. गेपरराम पुत्र पुराराम निवासी– निमाज
2. पुखराज पुत्र बुद्धाराम निवासी– बेराबन्दड़ी ढाणी मोहराई
3. लिछमाई पत्नी गोकलराम निवासी निमाज
4. भीकाराम पुत्र जीयाराम निवासी– धारानगरी
5. आयसुखीदेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी– कुशलपुरा तहसील– रायपुर
6. बंशीलाल पुत्र सोहनलाल निवासी– धारानगरी
7. जोगाराम पुत्र पदमाराम निवासी– धारानगरी
8. केवलचन्द पुत्र मालाराम निवासी– धारानगरी
9. सुभाषचन्द पुत्र ढगलाराम निवासी– धारानगरी
10. मोतीलाल पुत्र सिरदारराम निवासी– धारानगरी
11. बिदामी पत्नी कैलाशचन्द्र निवासी– धारानगरी
12. तरूणकुमार पुत्र सुरेन्द्रकुमार निवासी– धारानगरी
जातियान– कुमावत

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested

त[illegible] : 08.06.2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 15/02/2022

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 433/3 कुल रकबा 4–19 बीघा किस्म चाही प्रथम मौजा निमाज प्रथम** में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 12 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **आवासीय कॉलोनी काटकर** खर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाए मुखासमत दिनांक 25.05.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से अवैध रुप से **अकृषि(आवासीय कॉलोनी काटकर)** कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने [illegible] धारा 177, 92क, आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद [illegible] मय [illegible] डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन हैः– (क) वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन वर्णित धारा [illegible] वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थनापत्र में अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जवाब है कि सायल ने जो मूल वाद पेश किया है व आधारहीन तथ्यों पर आधारित है जिसमें सायल कतई सफल नहीं हो सकता हैं। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जवाब हे कि सरहद मौजा निमाज प्रथम में गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि खसरा नम्बर 433/3 रकबा 04–19 बीघा आई हुई है जिसमें प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण कोई अकृषि भूमि में प्रतिवादीगण कोई अकृषि कार्य नहीं कर रहे है, न ही कोई आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे है, न ही मौके पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है। प्रतिवादीगण काश्तकारी कानून के तहत उक्त आराजी में सुधार काय्र कर रहे हैं। जिसमें काश्तकारी कानून के अनुसार वृक्षारोपण कर भूमि को बागवानी के रुप में विकसित कर रहे है जिसका वादी ने गलत तथ्य पेश किये है। कोई भी खातेदार यदि अपनी भूमि में सुधार कर उसकों और उपजाऊ बनाकर बागवानी के रुप में उपयोग में लेता है तो वह काश्तकारी शर्तो का उलंघन नहीं है तथा वादी ने वादपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा न ही ऐसे कोई फोटोग्राफस या मौका

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:47:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द रिपोर्ट पेश की है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादीगण ने कोई गैरकानूनी कृत्य किया हो। हल्का पटवारी ने वादी को भ्रमित करनें की मंशा से गलत सूचना दी है जबकि हल्का पटवारी ने आवासीय कॉलोनी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत वादपत्र के साथ पेश नहीं किये है। केवल मात्र मौखिक कह देने से बिनाय वाद पैदा नहीं होता हैं। वादपत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि प्रतिवादीगण अपनी भूमि में वृक्षारोपण कर सुधार कार्य कर रहे है जो धार 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। इसलिए वादी का वादमय खर्चा खारिज फरमावें।

हल्का पटवारी निमाज एवं भू. अ. निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा नवीनतम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.12.2021 को प्रस्तुत की गई जो सामिल मिसल की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, भू. अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की खसरा संख्या 433/3 कुल रकबा 4-19 बीघा किस्म चाही प्रथम जो कि कृषि भूमि है के अभिलिखित खातेदार है द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक प्रक्रिया आवासीय कॉलोनी बनाकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा टिनेन्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहे हैं अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें।

2. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 25.05.2021 के अनुसार खातेदारान द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर चारदीवारी का निर्माण कर प्लॉटिंग आदि कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग आंरभ कर दिया है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त आराजी भू अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा जवाब देहन्दा द्वारा कृषि कार्य के रूप में ही उपयोग में ली जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि को समतल कर साफ सुधार कर वृक्षारोपण किया है और इस तरह से अपनी आराजी पर वृक्षारोपण कर उसे उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया टीनेन्सी शर्तो का भंग नहीं है, जोकि किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य की श्रेणी में नही आता है, न ही मौके पर किसी प्रकार से कॉलोनी आदि का निर्माण किया गया है।

5. वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी निमाज प्रथम द्वारा दिनांक 21.12.2021 को वादग्रस्त आराजी की मौके पर तैयार मौका रिपोर्ट जिसे पर प्रतिवादीगण खातेदारान् के भी हस्ताक्षर है एवं मौके के फोटोग्राफस के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में खाली पड़ी है। खसरा संख्या 433/3 रकबा 04-19 में प्लॉटिंग

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested

के पीलर(पत्थर) इत्यादि नहीं लगा रखे है। मौके के फोटोग्राफस के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली दिखाई दे रही है तथा झाड़िया, पेड़ इत्यादि दृष्टिगोचर हैं

6. ***धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त–भंग के लिए बेदखली*** –(1) भू धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :–

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या (ख) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे कार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो भूमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

7. वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पक्की चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है किन्तु चारदीवारी या मेडबन्दी को किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य नहीं माना जा सकता है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसका कुल रकबा 04–19 बीघा जिसमें 10 सहखातेदार दर्ज है इससे स्पष्ट है कि भूमि का रकबा भी अप्रत्याशित रूप से कम होकर वर्ग फीट या वर्गगज के रूप दर्ज नहीं हुआ है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी का प्लॉटिंग आदि कर अकृषि कार्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या फोटोग्राफर्स प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करनें का पर्याप्त कारण हो कि खातेदारान् मौके पर किसी रूप में अकृषि प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है। अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भॉंति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला पाली

निर्णय आज दिनांक 05/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण(जिला पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested